

राज्य मानव अधिकार आयोग के त्रैमासिक पत्रिका का वमिचन

चर्चा में क्यों?

6 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने शासन सचिवालय स्थिति आयोग कार्यालय में 'राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की त्रैमासिक पत्रिका' का वमिचन किया।

प्रमुख बडि

- इस पत्रिका में आवश्यक आदेश एवं महत्त्वपूर्ण नरिदेश जारी कयि जाने के संबंघ में तथा मानव अधिकार से संबंघति सूचनाओं के बारे में बताया जाएगा।
- पत्रिका के वमिचन के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ कयि।
- आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने इस वेबसाइट के संबंघ में कहा कि प्रदेश में दूर-दराज में रह रहे गरीब व्यक्ती अपने मामले/केस के संबंघ में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और परविादियों को अपने केस में स्थितिकी जानकारी प्राप्त करने के लयि जयपुर मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- गोयल ने बताया कि आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (rshrc.rajasthan.gov.in) पर 12 अक्टूबर से ऑनलाइन सुवधि (case/complaint search) प्रारंभ की जा रही है, जिसका प्रयोग कर आयोग में दर्ज वभिन्न परविादों से संबंघति वविरण और स्थितिकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- डिस्पोजल (खारजि) हुए मामलों से संबंघति आदेश (ऑर्डर) भी परविादी/प्रार्थी स्वयं के स्तर घर बैठे डाउनलोड कर सकेगा।